

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.  
दिनांक: / / 20

क्रमांक: - भू.अ. / 20 /  
प्रेषित:

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,  
निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री बानू राम पिता उदा  
शेलाहेडा प.ह. शेलाहेडा के राजस्व ग्राम शेलाहेडा में जमाबन्दी संवत् 2018-19  
की खाता संख्या 289, 19 में जाति / नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जाति / नाम उदय राम किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जाति / नाम उदय राम का अंकन राजस्व रिवाइड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है / दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं।  
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.  
दिनांक: 17/10/2025

क्रमांक: - रीडर / 20 25 / 86  
निमित्त

पटवार हल्का शेलाहेडा

विषय: - सम्मानजनक जाति / नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री बानू राम पिता उदा  
राजस्व ग्राम शेलाहेडा प.ह. शेलाहेडा की खाता संख्या 289, 19 में  
जाति / नाम उदा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति के रूप में रिपोर्ट  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री बानू राम पिता उदा  
जाति / नाम उदय राम एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित  
करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. राजस्व रिवाइड  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि: - तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।